कार्यालय सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई
जिला–बैतूल (म0प्र0)

प्र0 क0 7 अ 82/18–19 मौजा लिहदा/2410 दिनांक 03/09/2019

प्ररूप – घ
(नियम 6 देखिए)

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 625 दिनांक 02/03/2019 द्वारा, राज्य सरकार ने पारसडोह मध्यम उदवहन सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम गौला तहसील – मुलताई, जिला – बैतूल इंटेक वेल से ग्राम लिहदा, तहसील – मुलताई, जिला – बैतूल बी. पी. टी. तक के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना प्रारूप ख राजपत्र में दिनांक 08/03/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार मे निहित होगा ।

जिला	तहसील	ग्राम /पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर मे)
1	2	3	4	5
बैतूल	मुलताई	लिहदा, प.ह.न. 09	284/4	0.036
			योग	**0.036**

दिनांक:– 03/09/2019
स्थान :– मुलताई

सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई

प्र0क0 07 अ–82 / वर्ष 18–19 / भू–अर्जन / मौजा लिहदा / 2410 मुलताई दिनांक 03 / 09 / 2019
प्रतिलिपि :–

1– उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रनालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रनालय, म0 प्र0 भोपाल की ओर म0 प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित् ।

2– संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पाच प्रतियों में) अग्रेषित् । कृपया उक्त प्ररूप 'घ' का प्रकाशन जिले में संर्वाधिक प्रकाशित एक प्रदेश स्तर दैनिक एवं स्थानीय स्तर के दैनिक समाचार पत्रो कराया जाकर इस कार्यालय को समाचार पत्रो की प्रति भेजने का कष्ट करे ।

3– कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को सूचनार्थ अग्रषित् । प्ररूप 'घ' का प्रकाशन एक स्थानीय पेपर मे कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय मे भेजी जावे साथ ही कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे ।

4– जिला सूचना विाान अधिकारी बैतूल (एन आइ सी) की ओर समूचित सरकार की वेबसाइट WWW.betul.nic.in पर अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित् ।

5– प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित् । एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाये तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु ।

6– तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) अग्रेषित् । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति क्रय की जाने वाली भूमि के प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे । एवं एक प्रति मे पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजना सुनिश्चित करे ।

7– जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित् । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा) (भू–अर्जन शाखा) मुलताई को उपलब्ध करावे

8– सरपंच / सचिव ग्राम ......लिहदा............ तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर प्ररूप 'घ' का उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित् ।

सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई